फतो बनाम अमरजीत सिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 2023/045

23.10.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित । पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्राथी/प्रतिवादी संख्या 10 ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किए कि – प्रार्थीया का चक 5 पी बड़ी खाता संख्या 67/52 में संयुक्त खाता में मुरब्बा नं. 29 में 4663/15810 हिस्सा दर्ज है तथा इसके अलावा हिस्सेदारान अमरजीत सिंह वगैरा का भी हिस्सा है जिस सम्बन्ध में फतो द्वारा माननीय न्यायालय में वाद घोषणा एवं बंटवारा का कथन कर मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 16 से 22 का बंटवारा राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम से दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीया के कब्जा काश्त किला नं. 13 में 0.126 हैक्टे0व 14, 15, 23, 24 व 25 कुल 5 बीघा 10 बिस्वा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा न्यायालय द्वारा जो स्थगन आदेश दिनांक 17.05.2023 को जारी किया है उसमें भी किला नम्बर 16 से 22 का जारी है किसी प्रकार से भी प्रार्थीया के कब्जा काश्त में आये किलों का ना तो कोई विवाद है ना ही कोई स्थगन जारी है।प्रार्थीया के पक्ष में हिस्सेदार गंगाराम व सदाकौर द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग दिनांक 17.03.2023 को उप–पंजीयक हिन्दुमलकोट द्वारा किया गया है जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में पृष्ठांकन करवाया जाना है जो कि जमाबन्दी में माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश का नोट लगा होने के कारण पटवार हल्का द्वारा पृष्ठांकन नहीं किया जा रहा है जबकि स्थगन आदेश केवल मात्र किला नं. 16 से 22 का है। किसी प्रकार से भी रकबा पर स्थगन आदेश नहीं है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार श्रीगंगानगर के नाम आदेश फरमाया जावे कि वह हकत्याग के आधार पर राजस्व रिकार्ड में पृष्ठांकन करने का आदेश पटवार हल्का को दे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि– वादीया के पिता प्रताप सिंह पुत्र वरयामसिंह को भारत सरकार द्वारा चक 5 पी बड़ी के मुं. नं. 29 के किला नं. 13 में 10 बिस्वा किला नं. 14 ता 25 कुल 12.10 बीघा रकबा 4 जीवों के आधार पर अलांट है चारों के नाम सनद जारी हो गई है, चारो जीवों के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया था अब प्रताप सिंह का, जिवनी का , बिश्नी का भी स्वर्गवास हो गया था उनके मरने के बाद तमाम किश्ते वादीया ने जमा करवाई है इसलिए तमाम जमीन की हकदार वादीया है वादीया ने एक वाद धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है जिस पर दिनांक 17.05.2023 को स्थगन आदेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जारी किया गया है मगर प्रतिवादीगण द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अभी जवाब प्रस्तुत नही किया इसलिए कानून धारा 151 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीया को इस बात की जानकारी नहीं कि दिनांक 17.03.2023 को गंगाराम व सदाकौर के द्वारा कोई दस्तबरदारी की हो जिसके तहत दिनांक 20.03.23 को रजिस्ट्री बैयनामा किया हो अगर ऐसा कोई बैयनामा किया गया है तो वह वादीया के अधिकारों पर बेअसर है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

चुकि वाद पत्र खाता विभाजन एवं अधिकार घोषणा का है एवं वर्तमान में पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी हेतु विचाराधिन है। इस स्तर पर प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार कर स्थगन आदेश आदेश में शिथिलता दिया जाना उचित प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। निर्णय अभिभाषक उभयपक्ष को सुनाया गया। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3, 5 ता 9, 11, 13 ता 21 हेतु दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 13:56:31 IST
Reason: Self Attested